एक प्रगतिशील कदम

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (भारतीय राजव्यवस्था) से संबंधित है।

द हिन्दू

28 दिसम्बर, 2021

नागालैंड से AFSPA को वापस लेने की जाँच के लिए एक पैनल का गठन एक स्वागत योग्य कदम है।

नागालैंड सरकार द्वारा घोषणा कि राज्य में सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम को वापस लेने के लिए एक उच्चस्तरीय पैनल का गठन किया जाएगा, मोन नरसंहार के बाद पूर्वोत्तर में एक प्रमुख चिंता को संबोधित करता है, जहाँ घात लगाकर हमला किया गया था। इस महीने की शुरुआत में सशस्त्र बलों की कार्यवाही में 15 नागरिकों की मौत हुई थी।

जैसा कि केन्द्र सरकार ने हाल के दिनों में नागालैंड से संबंधित मुद्दों से निपटा है, गृह मंत्रालय (एमएचए) - जिसके अतिरिक्त सचिव (पूर्वोत्तर) समिति का नेतृत्व करते हैं- प्रस्तावित पैनल के बारे में चुप्पी साधे हुए हैं। इसकी जानकारी सिर्फ नागालैंड सरकार से ही निकल रही है। फिर भी, एक पैनल स्थापित करने के संकेत, भले ही इसे केवल नागालैंड सरकार द्वारा स्वीकार किया गया हो, राज्य के नागरिकों की कुछ चिंताओं को शांत करने में मदद की है, जिन्होंने नरसंहार को तुरंत अलोकप्रिय अधिनियम द्वारा प्रदान किए गए दंड के साथ जोड़ा था।

भारतीय सेना ने यह भी दोहराया है कि उसे जानमाल के नुकसान पर गहरा खेद है और घटना की जांच जारी है, यहां तक कि नागालैंड सरकार ने अपने बयान में उल्लेख किया है कि कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी सेना इकाई और इसमें शामिल कर्मियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करेगी।

यह असम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश के तीन जिलों और असम की सीमा से लगे राज्य के आठ पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों में लागू है, जिसमें सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए बल या फायरिंग का उपयोग करने का अधिकार है। मेघालय के मुख्यमंत्री पहले ही पूर्वोत्तर में इसे रद्द करने की मांग कर चुके हैं, जबकि मणिपुर भी इसे निरस्त करने की मांग पर चर्चा करने के लिए तैयार है।

पूर्वोत्तर के लोग इस अधिनियम के प्रभावी होने के साथ इस क्षेत्र में कई वर्षों से नागरिक हत्याओं की श्रृंखला को जोड़ते हैं। 2005 में केन्द्र में यूपीए की अगुवाई वाली सरकार द्वारा स्थापित न्यायमूर्ति जीवन रेड्डी समिति ने अधिनियम को "अत्यधिक अवांछनीय" बताते हुए निरस्त करने की सिफारिश की थी और इससे यह धारणा बनी थी कि पूर्वोत्तर में नागरिकों को शत्रुतापूर्ण व्यवहार के लिए लक्षित किया जा रहा था।

लेकिन सेना द्वारा इसके निरसन का कड़ा विरोध करने के कारण यह अधिनियम बना रहा। पैनल कुछ मामलों का अध्ययन हेतु लिए सहारा ले सकता है – त्रिपुरा ने राज्य में जमीन पर सुधार को देखते हुए मई 2015 में अधिनियम को रद्द कर दिया, जबकि मेघालय ने 1 अप्रैल, 2018 को ऐसा ही किया। दोनों राज्यों ने ऐसा दशकों तक अधिनियम के लागू होने के बाद किया।

राज्य के बीच चर्चा के बाद नागालैंड में "अशांत क्षेत्रों" की परिभाषा और सीमा पर एक स्पष्ट समझ, एमएचए और सशस्त्र बलों के प्रतिनिधि पूरे क्षेत्र में अधिनियम की प्रासंगिकता पर पुनर्विचार की दिशा में काम करने में एक लंबा सफर तय करेंगे।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

प्र. हाल ही में केन्द्र सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों में अफस्पा कानून की समीक्षा के लिए पैनल का गठन किया है। यह कानून निम्नलिखित में से किस पूर्वोत्तर राज्य में लागू नही है?

(क) असम
(ख) नागालैंड
(ग) मणिपुर
(घ) सिक्किम

Expected Question (Prelims Exams)

Q. Recently, the central government has constituted a panel to review the AFSPA law in the northeastern states. This law is not applicable in which of the following northeastern states?

(a) Assam
(b) Nagaland
(c) Manipur
(d) Sikkim

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. नागालैंड में हुई घटना के बाद अफस्पा कानून की समीक्षा के लिए एक पैनल का गठन करना क्या एक सही कदम माना जायेगा विशेषकर पूर्वोत्तर राज्यों में मौजूद सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए? (250 शब्द)

Q. Would setting up of a panel to review the AFSFA law after the incident in Nagaland be considered a right step, especially considering the security challenges present in the northeastern states? (250 Words)

नोट :- अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख कर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्त्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।